

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 44 / 2020

1 लिखमणराम उर्फ लिछीराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी 33 केवाईडी 'बी' खाजूवाला ।

बनाम

.... प्रार्थी

1 रतिराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी 33 केवाईडी 'बी' खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :-

1. प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं उपस्थित ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट अधिनियम

आदेश

दिनांक :-

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी लिखमणराम उर्फ लिछीराम पुत्र गोपालराम जाति जाट के चक 33 केवाईडी'बी' के मु0नं0 181/35 के किला नं0 1 ता 13 कुला तादादी 12.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। शेष भूमि अप्रार्थी की है। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों भाई है। अप्रार्थी के खेत तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी इसी चक व मु0नं0 के किला नं0 5,6 में 2-2 बिस्वा रास्ता देने के लिए सहमत है। दिनांक 03.02.2021 को दोनो पक्ष उपस्थित हुवे तथा अप्रार्थी ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई।

न्यायालय ने पत्रावली का अध्ययन किया है । न्यायालय का निष्कर्ष है कि उक्त प्रार्थना पत्र उभयपक्ष की सहमति होने की वजह से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 33 केवाईडी'बी' के मु0नं0 181/35 के किला नं0 5,6 में 2-2 बिस्वा भूमि पत्थर लाईन पर रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल-दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)